

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2021/548

दिनांक : 17.03.2021

// अत्यावश्यक //

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय/अनुदानित महाविद्यालय,

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, परिक्षेत्र

विषय :- बढ़ती हुयी सी.एम. हैल्पलाईन के निराकरण एवं वृद्धि को रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त महाविद्यालय प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि पिछले कुछ समय से दृष्टिगत हो रहा है कि विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों द्वारा अत्यधिक सी.एम. हैल्पलाईन लगाई जा रही हैं, जिनमें से अधिकतर सी.एम. हैल्पलाईन रूके हुए WH परीक्षा परिणाम, मार्कशीट आदि से संबंधित होती हैं। “कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15.05.2017 के पद क्रमांक 4 में लिये गये निर्णयानुसार ऐसे छात्र जिनके परीक्षा परिणाम किसी भी कारण से **Withheld** हैं, वे विश्वविद्यालय कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर छः माह के समयावधि में अपना परीक्षा परिणाम घोषित करावें। समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।” ऐसी समस्याओं को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर ही निराकृत किया जाकर छात्र की समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा अनावश्यक रूप से बढ़ती हुयी सी.एम. हैल्पलाईन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, परन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है कि ऐसे प्रकरणों में महाविद्यालयों के प्राचार्य का रवैया अत्यन्त उदासीन है। कई प्रकरणों में तो छात्रों द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा समस्या का समाधान न करने अथवा उनकी सलाह से ही सी.एम. हैल्प लाईन लगायी गयी है। जो अत्यन्त निन्दनीय एवं कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जिससे छात्रों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

अतः सभी महाविद्यालय प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि, आपके महाविद्यालय के संबंधित कक्षा का परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् सर्वप्रथम छात्रों की अंकसूचियां विश्वविद्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल कर परीक्षण करें। तत्पश्चात् ऐसे छात्रों की ऑनलाईन अंकसूचियां जिनका परीक्षा परिणाम रूका हुआ है, को कक्षावार एक सूची बनाकर उनके साथ आवश्यक दस्तावेज (जिनके अभाव में छात्र का परीक्षा परिणाम रोका गया है।) संलग्न एवं सूचीबद्ध कर एक साथ सहायक कुलसचिव (परीक्षा) के समक्ष प्रस्तुत कर पावती प्राप्त करें। जिससे कि छात्रों की समस्या का सीधे तौर पर समाधान किया जाकर अनावश्यक रूप से लग रही सी.एम. हैल्पलाईन से भी बचा जा सके।

निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. अतिरिक्त संचालक, (उच्च शिक्षा), मोती महल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप/सहा0-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. प्रभारी, एम.पी. ऑनलाईन, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. प्रभारी, आई.टी. सैल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
7. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. कुलसचिव महोदय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।


उप - कुलसचिव (परीक्षा/गोप0)